GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING
DEPARTMENT OF FISHERIES

RAJYA SABHA
STARRED QUESTION No.*17
TO BE ANSWERED ON 24TH JULY, 2024

Compensation to Fishermen

***17. SHRI BEEDHA MASTHAN RAO YADAV:**

Will the Minister of **Fisheries, Animal Husbandry and Dairying** be pleased to state:

(a) the details of all ongoing fishery disputes between Andhra Pradesh and Tamil Nadu;

(b) whether Government has taken any steps for resolving these disputes in a smooth and timely manner;

(c) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor;

(d) whether Government has provided any compensation to the fishermen who have suffered loss of livelihood as a result of these disputes; and

(e) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

ANSWER

MINISTER OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING
(SHRI RAJIV RANJAN SINGH ALIAS LALAN SINGH)

(a) to (e): A Statement is placed on the Table of the House.

*****

Statement referred to in reply to the Rajya Sabha Starred Question No. 17 regarding "Compensation to Fishermen" put in by Shri Beedha Masthan Rao Yadav, Hon'bleMember of Parliament, for answer on 24th July, 2024

(a) to (c):It was informed by Government of Andhra Pradesh during the 11thmeeting of the Standing Committee of the Southern Zonal Council held in Chennai on 27thSeptember, 2019, that unauthorized entry and illicit fishing is done by Tamil Nadu fishing boats in the territorial waters of Andhra Pradesh, which is causing fishing disputes between Andhra Pradesh and Tamil Nadu.Subsequently, the deliberations on this matter were held during the 12th meeting of the Standing Committee of the Southern Zonal Council on 28th May, 2022 and the 30th meeting of the Southern Zonal Council held on 3rd September, 2022.The Inter-State Council Secretariat, Ministry of Home Affairs (ISCS, MHA) advisedthe Department of Fisheries, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Government of India (DoF, M/oFAH&D, GoI) to constitute a Regional Fisheries Management Council to address the inter-state fishing related issues.

The DoF, M/o FAH&D, Government of India vide its Order dated 29th March, 2023 has constitutedthree Regional Fisheries Management Councils(RFMCs), namely Western, Eastern and Southern RFMCto address the inter-state fishing disputes.TheseRFMCsare Co-Chairedby the Joint Secretary (Marine Fisheries),DoF, M/oFAH&D, GoI and the Secretary, in-charge of Department of Fisheries, concerned CoastalStates/UTs on annual rotation basis. A representative from Indian Coast Guard is also one of the member of the each of the three RFMCs.

The Governments of Coastal States under three RFMCs, were requested by DoF, M/o FAH&D, GoI, to inform about any inter-state fishing disputes before scheduling the first joint meeting of the three Regional Fisheries Management Council (RFMCs). Subsequently, the first joint meeting of three RFMCswas held on 19th August, 2023,wherein, the Government of Andhra Pradesh informed about the un-authorized entry and illicit fishing even during the fishing ban period byTamil Nadufishing boats in the territorial waters of the State of Andhra Pradesh and that clashes occurred between fishermen of Tamil Nadu and local fishermen. It was also informed that the matter was raised with the Government of Tamil Nadu at the Secretariat level for resolution.

Subsequentto the first Joint RFMC meeting, Government of Andhra Pradesh in its letter dated 23rd August, 2023 requested Government of Tamil Nadu to communicate the date and time to conduct a joint meeting to resolve the issue. The Government of Tamil Nadu has issued an Order dated 31st January, 2024 to constitute a district level committee with theDistrict Collectors and other officers from Thiruvallur, Chennai, Chengalpattu of Tamil Nadu and SPSR Nellore, Prakasam and Tirupati districts of Andhra Pradesh to sensitize the fishermen and sort out the fishing disputes between the fishermen of both the States.

The DoF, M/o FAH&D, GoIhas approved a project with total outlay of Rs. 364.0 Crores under the Pradhan MantriMatsyaSampadaYojana (PMMSY) for the National Rollout of Vessel Communication and Support Systemincluding installation of transponders on 1,00,000 fishing vessels in all coastal States and Union Territories. The transpondersare beingfittedin the fishing vessels with 100% government assistance. The transponders have geo-fencing features to give alerts to the fishermenupon approaching to or crossing over the authorized areas of fishing under the jurisdiction of the concerned coastal state/UT to prevent cross border or unauthorized fishing.

(d) and (e): The DoF, M/o FAH&D, GoI, is taking several steps under the PMMSY towards providing financial assistance,which includes livelihood and nutritional support for socio-economically backward fishers, and also Group Accident Insurance Scheme coverage. Under the PMMSY, financial assistance is also providedfor procurement of boats for better catch, nets, communication and tracking devices, safety kits to ensure safety of fishermen while at sea. To improve the value realization to fishers, financial support is provided under PMMSY for development of post-harvest and cold chain facilities, fish transport, fisheries infrastructure, fish market, value added enterprise units and such other activities. Besides, for conservation and sustainable development of fish resources governmental support is provided under PMMSY for installation of artificial reefs, sea-ranching etc.

*****

भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या 17
24 जुलाई, 2024 को उत्तर के लिए

मछुआरों को क्षतिपूर्ति

17 श्री बीडा मस्थान राव यादवः

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच चल रहे सभी मत्स्य संबंधी विवादों का ब्यौरा क्या है ;
(ख) क्या सरकार ने इन विवादों को सुचारू और समयबद्ध तरीके से हल करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(घ) क्या सरकार ने उन मछुआरों को, जिन्होंने इन विवादों के परिणामस्वरूप आजीविका का नुकसान उठाया है, कोई क्षतिपूर्ति प्रदान की है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) से (ङ): एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

*****

मछुआरों को क्षतिपूर्ति के संबंध में दिनांक 24 जुलाई, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए श्री बीडा मस्थान राव यादव, माननीय संसद सदस्य द्वारा पूछे गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 17 के उत्तर में उल्लिखित विवरण ।

(क) से (ग): चेन्नई में 27 सितंबर, 2019 को आयोजित दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद (सदर्न ज़ोनल काउंसिल) की स्थायी समिति की 11वीं बैठक के दौरान आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा सूचित किया गया था कि तमिलनाडु की मत्स्यन नौकाएँ (फिशिंग बोट्स) आंध्र प्रदेश के क्षेत्रीय जल (टेररिटोरियल वाटर्स) में अनधिकृत रूप से प्रवेश कर अवैध रूप से मत्स्यन गतिविधि करती हैं जिससे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच मत्स्यन गतिविधि को लेकर विवाद हो रहा है । बाद में, 28 मई, 2022 को दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति की 12वीं बैठक और 3 सितंबर, 2022 को आयोजित दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक के दौरान इस मामले पर विचार-विमर्श किया गया । अंतर-राज्य परिषद सचिवालय, गृह मंत्रालय (आईएससीएस, एमएचए) ने मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार को अंतर-राज्यीय मत्स्यन संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए एक क्षेत्रीय मात्स्यिकी प्रबंधन परिषद (रीजनल फिशरीस मेनेजमेंट काउंसिल) के गठन की सलाह दी ।

मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार ने अंतर-राज्यीय मत्स्यन विवादों को सुलझाने के लिए 29 मार्च, 2023 के अपने आदेश द्वारा तीन क्षेत्रीय मात्स्यिकी प्रबंधन परिषदों (आरएफएमसी) का गठन किया, जो हैं - पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिणी आरएफएमसी । इन आरएफएमसी की सह-अध्यक्षता संयुक्त सचिव (समुद्री मात्स्यिकी), मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार और सचिव, मत्स्यपालन विभाग तथा संबन्धित तटवर्ती राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा वार्षिक रोटेशन आधार पर की जाती है । तीनों आरएफएमसी में, प्रत्येक में, भारतीय तटरक्षक बल का एक प्रतिनिधि भी सदस्य होता है ।

तीनों क्षेत्रीय मात्स्यिकी प्रबंधन परिषद (आरएफएमसी) की पहली संयुक्त बैठक आयोजित करने से पहले मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार ने आरएफएमसी के संबन्धित तटीय राज्यों की सरकारों से अनुरोध किया था कि कि वे किसी भी अंतर-राज्यीय मत्स्यन विवाद के बारे में सूचित करें ।

इसके बाद, तीनों आरएफएमसी की पहली संयुक्त बैठक 19 अगस्त, 2023 को हुई जिसमें आंध्र प्रदेश सरकार ने सूचित किया कि मत्स्यन गतिविधि पर प्रतिबंध अवधि के दौरान भी तमिलनाडु की मत्स्यन नौकाएँ आंध्र प्रदेश राज्य के क्षेत्रीय जल में अनधिकृत रूप से प्रवेश कर अवैध रूप से मत्स्यन गतिविधि करती हैं और यह कि तमिलनाडु के मछुआरों और स्थानीय मछुआरों के बीच झड़पें हुईं हैं । यह भी सूचित किया गया कि इस मामले के समाधान के लिए सचिवालय स्तर पर तमिलनाडु सरकार के साथ उठाया गया था ।

पहली संयुक्त आरएफएमसी बैठक के बाद, आंध्र प्रदेश सरकार ने 23 अगस्त, 2023 के पत्र द्वारा तमिलनाडु सरकार से अनुरोध किया कि वह इस मुद्दे को हल करने के लिए एक संयुक्त बैठक आयोजित करने की तिथि और समय सूचित करें । तमिलनाडु सरकार ने मछुआरों को जागरूक करने और दोनों राज्यों के मछुआरों के बीच मत्स्यन विवादों को सुलझाने के लिए तमिलनाडु के तिरुवल्लूर, चेन्नई, चेंगलपट्टू तथा आंध्र प्रदेश के एसपीएसआर नेल्लोर, प्रकाशम और तिरुपति जिलों के जिला कलेक्टरों और अन्य अधिकारियों के साथ एक जिला स्तरीय समिति गठित करने के लिए 31 जनवरी, 2024 को एक आदेश जारी किया है ।

मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार ने प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई) के तहत सभी तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 1,00,000 फिशिंग वेसल्स पर ट्रांसपोन्डर लगाने के साथ साथ वेस्सल कम्यूनिकेशन एंड सपोर्ट सिस्टम के राष्ट्रीय रोलआउट के लिए 364.0 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय वाली एक परियोजना को मंजूरी दी है । फिशिंग वेसल्स पर ट्रांसपोंडरों को 100% सरकारी सहायता से लगाया जा रहा है । ट्रांसपोंडरों में जियो-फेंसिंग सुविधा है, जो मछुआरों को संबन्धित तटीय राज्य / संघ शासित प्रदेश के अधिकार क्षेत्र में आने वाले अधिकृत मत्स्यन क्षेत्रों के पास पहुंचने या उन्हें पार करने पर अलर्ट देता है ताकि सीमा को लांघने या अनधिकृत मत्स्यन से उन्हें रोका जा सके ।

(घ) से (ङ): मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार, पीएमएमएसवाई के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कई कदम उठा रहा है , जिसमें सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े मछुआरों के लिए आजीविका और पोषण संबंधी सहायता के साथ साथ समूह दुर्घटना बीमा योजना कवरेज भी शामिल है । पीएमएमएसवाई के अंतर्गत मछलियों को बेहतर मात्रा में पकड़ने (कैच) के लिए नावों की खरीद, जाल, संचार और ट्रैकिंग उपकरण और समुद्र में मछुआरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा किट के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है । मूल्य प्राप्ति में सुधार करने के लिए मछुआरों को पीएमएमएसवाई के अंतर्गत पोस्ट हार्वेस्ट और कोल्ड चेन सुविधाओं के विकास, मत्स्य परिवहन, मात्स्यिकी इनफ्रास्ट्रक्चर, मत्स्य बाजार, मूल्य वर्धित उद्यम इकाइयों और ऐसी अन्य गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा, मत्स्य संसाधनों के संरक्षण और टिकाऊ विकास के लिए पीएमएमएसवाई के तहत, आर्टिफ़िशियल रीफ़्स की स्थापना, सी रेंचिंग आदि के लिए सरकारी सहायता प्रदान की जाती है ।

*****

SHRI BEEDHA MASTHAN RAO YADAV: Sir, thank you for giving me this opportunity. The Central Water Commission recommended opening up of the sea mouth near Rayadoruvu village of Andhra Pradesh. Can the Minister elaborate on whether these recommendations have been implemented? And if so, what are the details? Are there any specific legal or policy frameworks in place to address inter-State fishery disputes? If so, have these mechanisms been utilised in the case of Andhra Pradesh and Tamil Nadu? And what have been the outcomes? Despite an easy solution of dredging the side of Pulicat Lake of Andhra Pradesh, why has the Government not worked on the solution? Does the hon. Minister have any timeline for the completion of dredging works? Sir, for your kind information, I accompanied the former Fisheries Minister, Shri Purushottam Rupala, along with the Joint Secretary three months ago just before the elections. He personally spoke to the fishermen of both the States and he promised them that the dispute will be resolved immediately and justice will be done. The only problem is the necessary funding to dredging the Pulicat Lake. The Government of India recommended 50:50 sharing of funds. Since it is an inter-State project, let the Government of India take up the project fully and do justice to the fishermen of both the States.

MR. CHAIRMAN: Second supplementary. Shri Beedha Masthan Rao Yadav.

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, the answer.

MR. CHAIRMAN: Jairam, I will plead with you. Listen to the answer.

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, the answer.

MR. CHAIRMAN: Let me judge it. I am here to judge it. If there will be no answer, you have a mechanism. Avail it. Every time, don't intervene. It is not a good habit.

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, I have a right to...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: Please. If you have a right, go according to the rules. You have no right the way you are doing it. Sitting in your chair and intervening every time is inappropriate. ...(*Interruptions*)... No. I don't. ...(*Interruptions*)... Nothing will go on record. ...(*Interruptions*)... Second supplementary. ...(*Interruptions*)... Nothing will go on record. ...(*Interruptions*)... Soul-search and reflect. Only then will you try to understand what I am saying. Second supplementary.

SHRI BEEDHA MASTHAN RAO YADAV: Sir, during the visit of the former Minister, Shri Purushottam Rupala, to these two States, he promised that he would talk to both the Chief Ministers of the respective States and find a solution. But so far, nothing happened. Sir, please let the Minister explain about it.

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister.

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री (श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह): सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच सीमा का जो विवाद है, उसके बारे में प्रश्न पूछा है। आंध्र प्रदेश के मछुआरे कभी तमिलनाडु चले जाते हैं, कभी तमिलनाडु के मछुआरे आंध्र प्रदेश की बाउंड्री में आ जाते हैं, यह विवाद बहुत पहले से चल रहा है, 2019 से चल रहा है। पहले ज़ोनल लेवल पर एक कमिटी थी - Southern Zonal Committee. उस कमिटी के अंदर इन विवादों पर चर्चा होती थी और उनका निराकरण होता था, जिसमें सभी राज्य शामिल रहते थे। इसकी कई बैठकें हुईं; 27 सितंबर, 2019 को हुई; फिर 28 मई, 2022 को हुई; फिर 3 सितंबर, 2022 को हुई। उसके बाद गृह मंत्रालय के परामर्श पर एक Regional Fisheries Management Committee का निर्माण हुआ। 29 मार्च, 2023 को इसका निर्माण हुआ और उसके बाद Regional Fisheries Management Committee को तीन ज़ोन्स में बाँटा गया। उन तीनों ज़ोन्स के लिए Western, Eastern और Southern, तीन RFMC कमिटियाँ बनाई गई हैं। इसके साथ-साथ स्टेट लेवल पर भी, जैसा माननीय सदस्य ने पूछा कि राज्य के स्तर पर भी - तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सरकारों के बीच भी इस विषय पर चर्चा हो रही है। आंध्र प्रदेश की सरकार ने तमिलनाडु की सरकार को लिखा और तमिलनाडु की सरकार के निर्देश और उन दोनों की सहमति से कई जिलों में कलक्टर्स की अध्यक्षता में दोनों राज्यों के अधिकारियों की समिति बनी और उस समिति में इन सारे विवादों पर चर्चा हो रही है, यह सत्य है।

उसके अलावा लगभग 1 लाख फिशिंग वेसल्स ऐसे हैं, जिनमें अब मंत्रालय की तरफ से ट्रांसपोंडर में जियो फिशिंग की भी सुविधा दी गई है। जैसे ही कोई मछुआरा अपने राज्य की बाउंडरी को क्रॉस करता है, वह सिगनल देता है। लेकिन उसके बावजूद भी विवाद है और उस विवाद का निराकरण Regional Fisheries Management Committee के स्तर पर किया जा रहा है।

MR. CHAIRMAN: Shri P. Wilson; third supplementary.

SHRI P. WILSON: Sir, you would have seen that there is periodical firing and securing of the Tamil fishermen even when they undertake fishing within the territorial waters of India. In fact, on July 11th, about 22 Tamil fishermen were arrested; on 19th June, four Tamil fishermen were arrested. The Sri Lankan Navy claims that 200 Indian fishermen were arrested and imprisoned, and about 27 trawlers were seized. One report says

that 15 Tamil fishermen are still languishing in jail and 162 fishing boats are still under the control of Sri Lankan Navy. My question is: What steps are you taking in respect of Sri Lanka? Are you taking any steps to get them released immediately or taking any steps to negotiate and give legal advice? In fact, three fishermen were even sentenced to jail. They have to undergo trial and are still languishing in jail. Please explain that to this House. Our Chief Minister, Mr. M.K. Stalin, has written several letters, every now and then, bringing to your notice periodical firing and securing of the Indian Tamil fishermen and keeping them in jail for long period. Thank you, Mr. Chairman.

MR. CHAIRMAN: Hon. Member, the question relates to compensation to fishermen but the hon. Minister may address this issue if he likes.

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह: सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो सवाल उठाया है, ऐसा कई बार होता है। हमारे मछुआरे श्रीलंका की सीमा में चले जाते हैं और श्रीलंका के मछुआरे हमारी सीमा में चले आते हैं, लेकिन इन विवादों पर एक joint working group है, जिसके माध्यम से श्रीलंका के साथ बातचीत करके इन समस्याओं का समाधान समय-समय पर होता रहता है। वर्तमान मामले पर भी joint working committee इस पर विचार करेगी। विदेश मंत्रालय के अधीन ये सारी joint working committees हैं, groups हैं, जो बन कर इन पर चर्चा करती रहती हैं। माननीय सदस्य जो सवाल उठा रहे हैं, उसका joint working committee भी जरूर नोटिस लेगी।

MR. CHAIRMAN: Fourth supplementary; Shrimati Sulata Deo.

SHRIMATI SULATA DEO: Thank you so much, Sir.

सर, मैं ओडिशा को belong करती हूँ। हमारे ओडिशा की 430 किलोमीटर लम्बी coastal line है। अभी मछुआरों के बारे में जो बात की जा रही है, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूँ कि जो 'प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना' में ट्रांसपोंडर लगाने के लिए, 1 लाख ट्रांसपोंडर्स की व्यवस्था है, तो ओडिशा की coastal line में कितने मछुआरों के vessels में वह tracking device लगाने को मिला है और मछुआरों के ऐसे कितने traditional vessels हैं, जिनके upgradation के लिए कितना पैसा मिला है? सर, मैं आपके माध्यम से इसका to the point answer माननीय मंत्री से जानना चाहती हूँ। थैंक यू। जय जगन्नाथ।

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह: माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्या ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में आदरणीय प्रधान मंत्री जी की सरकार ने पिछले 10 वर्षों में जो उपलब्धि हासिल की और माननीय सदस्या जिस 'प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना' की बात कह रही हैं, उसने उत्पादन के क्षेत्र में क्रांति लाने का काम किया है। महोदय, अगर मैं

बताऊँ, तो 1950-51 से लेकर 2013 के अंत तक इस देश का जो मत्स्य उत्पादन था, वह लगभग 61.36 लाख टन था और 2014 से लेकर 2023 तक हमारा मत्स्य उत्पादन 121.12 लाख टन हो गया है, जो लगभग दोगुने के बराबर है। यह प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के द्वारा मत्स्य उत्पादन को कृषि के साथ जोड़ने वाली क्रांतिकारी कदम का ही परिणाम है कि आज हम इतने बड़े पैमाने पर मत्स्य उत्पादन कर रहे हैं।

सभापति महोदय, आज हम विदेशों में 63 हजार करोड़ रुपए के मछली का सालाना एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आज मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में विश्व में हमारा दूसरा स्थान है। माननीय सदस्या ने ओडिशा के बारे में एक लाख वैसल्स पर transponder, signaling system की जो बात की है, उनको इसकी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी कि ओडिशा में ऐसे कितने transponder हैं।

MR. CHAIRMAN: Shri Saket Gokhale, fifth supplementary.

SHRI SAKET GOKHALE: Thank you, Sir. This question pertains very specifically to the subject of compensation for traditional farmers.

MR. CHAIRMAN: Yes.

श्री साकेत गोखले: सर, उन्होंने टूरिज़्म पर कश्मीरी पंडित बोला, लेकिन आप हमेशा मुझे रोकते हैं। ठीक है, सर, कोई बात नहीं।

MR. CHAIRMAN: Mr. Saket, please confine to your supplementary, you would get a good answer.

SHRI SAKET GOKHALE: You would not even let me finish, Sir. सर, आप मुझे बिना टॉपिक बोल देते हैं।

MR. CHAIRMAN: No, no. You talked of '*Kashmiri Pandits*'. Please.

SHRI SAKET GOKHALE: Anyway, my question is this. I will introduce it in two sentences. In 2019, the United States banned imports of wild-caught shrimp from India. This ban has been in place for the last five years now. Due to this, the fishermen across the coastal areas, especially, of Southern and Eastern India, are forced to sell their wild-caught shrimp to other countries at much lower prices. So, my question is: "What steps is the Ministry taking to compensate fishermen who have been affected by the five year long shrimp ban that has been imposed by the United States?" Thank you, Sir.

MR. CHAIRMAN: It is a very unique concept of compensation. Hon. Minister may respond.

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंहः सर, माननीय सदस्य ने श्रिम्प के बारे में जानना चाहा है। मैं बताना चाहता हूँ कि आज हम जो फिश का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें मैक्सिमम हिस्सेदारी श्रिम्प का है और श्रिम्प की हिस्सेदारी ही हमारे एक्सपोर्ट को बढ़ा रही है, लेकिन हम वैल्यू एडिशन श्रिम्प को विदेशों में एक्सपोर्ट करें, इसके लिए हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं।

फिशरमेन के वेलफेयर की जो बात उन्होंने कही है, उस संबंध में मैं यह बताना चाहता हूँ कि 'प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना' में आज जो फिशरमेन हैं या जिसको हम लोग फिश फार्मर्स कहते हैं, उन फिशरमेन या फिश फार्मर्स के लिए प्रधान मंत्री जी ने 'किसान क्रेडिट कार्ड' की योजना शुरू की है और इसके लिए किसानों के लगभग 4,26,134 एप्लिकेशन्स स्वीकृत हुए तथा इसके लिए 2477.95 करोड़ रुपए रिलीज किये जा चुके हैं। आकस्मिक परिस्थिति में जो दुर्घटनाएँ होती थीं, उनके लिए आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने फिशरमेन को बीमा कवर से भी जोड़ने का काम किया है। आदरणीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के द्वारा ये जो सारे काम किए गए हैं, उन्हीं का यह परिणाम है कि आज हमारा मछली उत्पादन बढ़ रहा है।

MR. CHAIRMAN: Q.No. 18, Dr. Sikander Kumar, first supplementary.